

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

राम सिंह बनाम मान सिंह

मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

प्रार्थना पत्र फेका होने पर आज
पत्रावली तलब को जर्द। पक्षकारान के
मध्य राजीनामा हो गया है। मुकदमा
को छोड़ नहीं चलाना चाहते हैं। अथ
पक्ष के वकीलों द्वारा बाद पत्र में पक्षकारान
को तहदीक का। राजीनामा खोला होने
पर बाद पत्र फैसल मुमा हो चुका है। इसमें
प्रार्थना पत्र कसबिद निषेधाज्ञा चलने का
कोई आदेश नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र
को कार्यवाही हेतु दिनांक 17.3.2020 को
जाते कसबिद निषेधाज्ञा खतरा ही समाप्त
हो चुके हैं। प्रार्थना पत्र फैसल मुमा होकर
नम्बर से कम हो एवं मूल काद संकर रहे।

आदेश हुमाक जमा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौरा